

\*विशेष प्रश्नोत्तरी\*

\*19/10/2024\*



\*प्रश्न:-क्या प्रोबेशन में नियुक्त प्रोबेशन ट्रेनी(कार्मिक) को राजकीय कार्य हेतु यात्रा करने पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होता है?\*

उत्तर:-जी हाँ, प्रोबेशन में नियुक्त कार्मिक को राजकीय कार्य एवं उद्देश्य हेतु यात्रा करने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता राशि देय है।

प्रोबेशन काल में देय नियत पारिश्रमिक ही कार्मिक का मूल वेतन माना जाता है। उस नियत पारिश्रमिक के आधार पर सम्बंधित श्रेणी अनुसार दैनिक भत्ते की राशि देय होती है।

प्रोबेशन अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर सम्बंधित पद की पे लेवल की प्रथम सेल की श्रेणी अनुसार यात्रा भत्ता देय होता है।

नोट: कोई मतांतर होने पर वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश ही मान्य है।

\*खेताराम सोनी\*

\*वरिष्ठ अध्यापक\*

\*रा.उ.मा.वि.,ढोक, चौहटन(बाड़मेर)\*

\* पे मैनेजर इन्फो \*

